प्रेषक,

आर0के0मिश्र
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांक 11 दिसम्बर, 2009

विषयः-वर्ष 2009-10 हेतु स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष अनुदान सं0-27 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष राज्य सेक्टर योजना "जंगली जानवर द्वारा अथवा दुर्घटनाग्रस्त सरकारी कर्मचारियों या जनता को जानमाल नुकासन पर क्षतिपूर्ति/अनुग्रह राशि" के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त सम्बन्ध में शासनादेश सं0-933/X-2-2009-12(11)/2009 दिनांक 01 मई, 2009 एवं शासनादेश सं0-3485/X-2-2009-12(11)/2009 दिनांक 06 नवम्बर, 2009 तथा तद्क्रम में यथासंशोधित शासनादेश सं0-3485(1)/X-2-2009-12(11)/2009 दिनांक 24 नवम्बर, 2009 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उपरोक्त सम्बन्ध में आपके कार्यालय के प्रस्ताव/पत्र सं0-नि.710/3-5 दिनांक 22 अक्टूबर, 2009 के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **"जंगली जानवर द्वारा सरकारी कर्मचारियों या जनता को जान माल नुकसान पर क्षतिपूर्ति"** योजना के अन्तर्गत संलग्न बी0एम0-15 प्रपत्र पर उल्लिखित लेखाशीर्षकवार व्यावर्तन के अनुसार पूर्व में लेखानुदान से स्वीकृत धनराशि रू0 53.33 लाख को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि रू0 96,67,000/-(**रू0 छियानवे लाख सडसठ हजार मात्र**) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने एवं नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. धनराशि का आहरण/व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाय. वर्तमान स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जा रही है कि अग्रेत्तर स्वीकृतियों पर तभी विचार किया जायेगा.
2. उक्त स्वीकृत व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय.
3. विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-515/XXVII(1)/2009, दिनांक 28 जुलाई, 2009 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर की अनुमति / यथा स्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जाय. निर्माण कार्य सम्बन्धी आगणनों पर सक्षम स्तर का अनुमोदन पूर्व में ही प्राप्त कर लिया जाय तथा यथा-आवश्यकता नियमानुसार प्रशासनिक स्वीकृति पृथक से प्राप्त की जाय. बी. एम.-13, 17 पर धनराशि व्यय / अवमुक्ति सम्बन्धी सूचनायें एवं विवरण समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड प्रोक्यूरमेन्ट नियमावली, 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-पांच भाग-1 (लेखा नियम), वित्तीय हस्तपुस्तिका में अंकित सुसंगत नियमों/प्रतिबन्धों, आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों/शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.
4. योजना की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहाँ आवश्यकता हो समक्ष स्तर से सहमति/स्वीकृति ली जाय.

क्रमशः......2

5. विभिन्न योजनाओं हेतु अनुमोदित कार्यक्रम, विभागीय आवश्यकता के क्रम में योजना की उपयोगिता/आवश्यकता के अनुरूप ही धनराशि व्यय की जाय.
6. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से पालन किया जाय.
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय.
8. अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा.

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु स्वीकृत आय-व्यय के सापेक्ष अनुदान सं0-27 के अन्तर्गत 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिकी 800-अन्य व्यय 09-जंगली जानवर द्वारा सरकारी कर्मचारियों या जनता जान माल नुकसान पर क्षतिपूर्ति 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मानक मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0-327(P)/XXVII(4)/2009, दिनांक 09 दिसम्बर, 2009 द्वारा प्रदत्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोपरि.

भवदीय

(आर0के0मिश्र)
अपर सचिव

संख्या-3404(1)/X-2-2009, तद्दिनांकत.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार(लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून.
2. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून.
3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून.
4. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
5. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन.
7. आयुक्त कुमाऊँ / गढ़वाल मण्डल.
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड.
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून.
10. मुख्य/वरिष्ठ/सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून.
12. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
13. प्रभारी मिडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
14. गार्ड फाइल (जे).

आज्ञा से,

(अहमद अली)
अनु सचिव

प्रपत्र– बी0एम0–15

नियत्रक अधिकारी का नाम– प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड (पैरा–156) प्रशासकीय विभाग– वन, वन्यजन्तु एवं पर्यावरण

(धनराशि हजार रूपये में)

वित्तीय वर्ष 2009–10				अनुदान संख्या–27			आयोजनागत
प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की अवशेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष सरप्लस धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है तथा स्थानान्तरित धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद अवशेष धनराशि (स्तम्भ–1 में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
अनुदान संख्या–27				अनुदान संख्या–27			
2406– वानिकी तथा वन्य जीवन				2406– वानिकी तथा वन्य जीवन			
01–वानिकी				01–वानिकी			वित्तीय वर्ष 2009–10 के लेखानुदान के अन्तर्गत प्रश्नगत लेखाशीर्षक के अन्तर्गत 20– सहायक अनुदान/ अंशदान/ राज सहायता मद में रू0 01 हजार तथा 42 अन्य व्यय मद में रू0 5333 हजार को प्राविधान उपलब्ध था जिसके सापेक्ष उक्त सम्पूर्ण धनराशि संबंधित आहरण वितरण अधिकारी के निर्वतन पर रखी गयी। किन्तु वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक में प्रश्नगत लेखाशीर्षक के अन्तर्गत 20 सहायक अनुदान/ अंशदान/ राजसहायता मद में रू0 15000 हजार एवं 42 अन्य मद में रू0 01 हजार का प्राविधान होने से पुनर्विनियोग किया जाना अपरिहार्य है।
800– अन्य व्यय				800– अन्य व्यय			
09–जंगली जानवर द्वारा सरकारी कर्मचारियों या जनता को जान माल नुकसान पर क्षतिपूर्ति				09–जंगली जानवर द्वारा सरकारी कर्मचारियों या जनता को जान माल नुकसान पर क्षतिपूर्ति			
20 सहायक अनुदान/ अंशदान/ राजसहायता – 15000	—	9667	~~14999~~ 5333	~~20 सहायक अनुदान/ अंशदान/ राजसहायता –~~		~~1~~ 9667	
~~42 अन्य व्यय~~		[illegible]		42–अन्य व्यय – ~~14999~~ 5333	~~15000~~ 5334	~~15000~~	
योग– रू0 15001	~~0~~ –	9667	~~14999~~ 5333	योग– रू014999	~~15000~~ 5334	~~15001~~ 9667	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150,151,155, 156 में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लघंन नहीं होता है।

(आर0 के0 मिश्र)
अपर सचिव